



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2014 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2014 को अपरान्ह 03:30 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः—

| | |
|--|---------|
| 1. डा० हरि शंकर गौड़, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. श्री ओम प्रकाश शर्मा, मा० विधान परिषद सदस्य | सदस्य |
| 3. श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, मा० विधायक | सदस्य |
| 4. श्री संगीत सिंह सोम, मा० विधायक | सदस्य |
| 5. श्री देवाशीष पाण्डा, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान | सदस्य |
| 6. श्री रणबीर सिंह, लाइव स्टाक ब्रीडर | सदस्य |
| 7. डा० केऽसी० सिंह, प्राचार्य कृषि वैज्ञानिक | सदस्य |
| 8. चौ० मनोज प्रधान, प्रगतिशील कृषक | सदस्य |
| 9. श्रीमती भारती शर्मा, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री | सदस्य |
| 10. डा० एस०के० कौशिक, संयुक्त निदेशक, आई०सी०ए०आर० प्रतिनिधि | सदस्य |
| 11. श्री पारसनाथ सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 12. श्री राम चन्द्र सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 13. प्रौ० जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 14. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक | सचिव |

मा० कुलपति जी द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। मा० कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति एवं समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

X
23/2/14

Jh
24/2/14

प्रस्ताव संख्या 26.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न 23वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 26.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न 23वीं बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या—26.3 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 24वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न 24वीं(आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या—26.4 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 24वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न 24वीं(आकस्मिक) बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या—26.5 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 25वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न 25वीं(आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या—26.6 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 25वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न 25वीं(आकस्मिक) बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। मद संख्या—25.1 के सम्बन्ध में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान

23/11/14

Jh
27/11/14

करने में हो रहे विलम्ब को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का निम्न विवरण के अनुसार गठन किये जाने के निर्देश दिये गये : -

1. मा० कुलपति, अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय
3. डा० क०सी०सिंह, सदस्य, मा० प्रबन्ध परिषद
4. उपनिदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ

उक्त समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की टीम द्वारा विश्वविद्यालय भ्रमण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुरूप कार्रवाई कराने हेतु संस्तुति 2 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्रवाई: कुलसचिव / अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

प्रस्ताव संख्या—26.7 विद्वत परिषद की 50वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

विद्वत परिषद की 50वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर कौशल विकास से सम्बन्धित वर्तमान समय में प्रासंगिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम चिन्हित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों तक आधुनिक तकनीकों और कृषि यंत्रों का लाभ पहुँचाने के साथ-साथ युवा अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकें। उदाहरणार्थ— गैरूँ हार्वेस्टिंग हेतु कम्बाईन चलाने सम्बन्धी प्रशिक्षण, उच्च गुणवत्ता के बीज तैयार किये जाने का प्रशिक्षण आदि।

(कार्रवाई: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या—26.8 वित्त समिति की पंचम बैठक के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों का अवलोकन करते हुए बिन्दुवार निम्न प्रकार निर्देशित/अनुमोदन प्रदान किया गया:-

| | |
|----------------------------|---|
| प्रस्ताव संख्या—5.3 | अधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि प्रतिनिधायन पूर्ण उत्तर दायित्व के साथ किया जाना उचित होगा। इसके लिए और अधिक स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत कियां जाये। विश्वविद्यालय स्तर पर क्रय |
|----------------------------|---|

१५/२३८५

Jhunjhunwala

| | |
|------------------------|---|
| | <p>किये जाने वाले उपकरणों/फर्नीचर/ स्टेशनरी सहित अन्य सामग्रियों के मूल्य में एकरूपता रखे जाने के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट की जाये। (कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)</p> |
| प्रस्ताव संख्या—5.4 | <p>वाणिज्य कर सम्बन्धित प्रकरणों में पूर्व में कार्यरत अधिवक्ता के स्थान पर श्री नवीन कुमार गुप्ता, एडवोकेट को नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार करते समय शासन द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत किये गये अनुदान को शासन द्वारा नियुक्त कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करते समय स्रोत पर वाणिज्य कर की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन को समस्त तथ्यों सहित सन्दर्भ भेजे जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा वाणिज्य कर सम्बन्धी प्रकरणों में पैरवी हेतु तीन वकीलों का पैनल अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। पैनल हेतु कुठेशन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें।</p> <p>(कार्रवाई: नोडल अधिकारी विधिक/ कुलसचिव/ नोडल अधिकारी, निर्माण/ वित्त नियंत्रक)</p> |
| प्रस्ताव संख्या—5.5 | <p>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि शिक्षा विकास एवं संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष स्वीकृत विकास अनुदान के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को अनुमोदित किया गया।</p> <p>(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)</p> |
| प्रस्ताव संख्या—5.6 | <p>विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सी0य०जी0 मोबाइल हेतु रु0 99 प्रतिमाह (सेवाकर अतिरिक्त) की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति पर सैद्धान्तिक सहमति घोषित की गयी। परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्यों सहित सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>(कार्रवाई: प्रभारी अधिकारी, आई0टी0/ प्रभारी अधिकारी विद्युत/ दूरभाष)</p> |

23/4/14

24/4/14

| प्रस्ताव संख्या—5.7 | मा० कुलपति जी की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा कर्मी के वेतन का 10 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान करने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई: अध्यक्ष, सुरक्षा सलाहकार समिति) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------|----------------|---|---|-------------|---|---|------------------------|---|--|-------------------------|
| प्रस्ताव संख्या—5.8 | आडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति का अवलोकन करते हुए लम्बित आडिट आपत्तियों को प्राथमिकता पर निस्तारित कराने के निर्देश दिये। (कार्रवाई: वित्त नियंत्रक) | | | | | | | | | | | | |
| प्रस्ताव संख्या—5.9 | मा० कुलपति जी को लेखा शीर्ष के अन्तर्गत एक मानक मद से दूसरे मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग स्वीकृत करने के अधिकार प्रतिनिहित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को अनुमोदित किया गया। (कार्रवाई: वित्त नियंत्रक) | | | | | | | | | | | | |
| प्रस्ताव संख्या—5.10(क) | विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ए०टी०ए० स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित कर अधिकतम किराया देने वाले बैंक का ए०टी०ए० स्थापित कराने का निर्देश दिया गया। (कार्रवाई: नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक) | | | | | | | | | | | | |
| प्रस्ताव संख्या—5.10(ख) | आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में निजी कम्पनियों के द्वारा निर्मित कृषि संबंधी उत्पादों के विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण करने के लिये दर निर्धारित कराने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>विवरण</th> <th>धनराशि लाख में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>सामान्य उत्पाद जैसे प्रजाति आदि का मूल्यांकन के लिए दो वर्ष के परीक्षण हेतु</td> <td>रु० 3.0 लाख</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>संकर प्रजातियाँ के दो वर्षीय परीक्षण हेतु</td> <td>रु० 4.0 लाख प्रति संकर</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कृषि रसायनों के दो वर्षीय परीक्षण हेतु</td> <td>रु० 4.0 लाख प्रति रसायन</td> </tr> </tbody> </table> <p>(कार्रवाई: निदेशक अनुसंधान केन्द्र)</p> | | क्र० सं० | विवरण | धनराशि लाख में | 1 | सामान्य उत्पाद जैसे प्रजाति आदि का मूल्यांकन के लिए दो वर्ष के परीक्षण हेतु | रु० 3.0 लाख | 2 | संकर प्रजातियाँ के दो वर्षीय परीक्षण हेतु | रु० 4.0 लाख प्रति संकर | 3 | कृषि रसायनों के दो वर्षीय परीक्षण हेतु | रु० 4.0 लाख प्रति रसायन |
| क्र० सं० | विवरण | धनराशि लाख में | | | | | | | | | | | |
| 1 | सामान्य उत्पाद जैसे प्रजाति आदि का मूल्यांकन के लिए दो वर्ष के परीक्षण हेतु | रु० 3.0 लाख | | | | | | | | | | | |
| 2 | संकर प्रजातियाँ के दो वर्षीय परीक्षण हेतु | रु० 4.0 लाख प्रति संकर | | | | | | | | | | | |
| 3 | कृषि रसायनों के दो वर्षीय परीक्षण हेतु | रु० 4.0 लाख प्रति रसायन | | | | | | | | | | | |

23/11/14

Jhl
23/11/14

**प्रस्ताव
संख्या—5.10(ग)**

वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के प्रदर्शनी/मेला स्थल को किराये पर देने तथा इस हेतु किराया निर्धारित करने का निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

| क्र0 सं0 | विवरण | किराये की धनराशि प्रति दिन(रूपये में) |
|-------------|---|--|
| 1 | राजकीय विभागों/संस्थाओं हेतु | रु0 10,000/- |
| 2 | राजकीय विभागों/संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य हेतु | रु0 50,000/- |

(कार्यवाई: निदेशक प्रसार)

प्रस्ताव संख्या—26.9 डा० डी०के० सचान, प्रशिक्षण सहायक (सस्य विज्ञान) एवं श्री तेज बहादुर यादव, प्रशिक्षण सहायक (पशुपालन) वेतनमान रु० 1740—3000 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वेतनमान रु० 2200—4000 (पुनर्रीक्षित वेतनमान रु० 8000—13500) प्रदान किये जाने पर पुर्णविचार करने के सम्बन्ध में आगामी बैठक में विचार करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाई: कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या—26.10 विद्वत परिषद की 51 वीं बैठक के संकल्प संख्या—11, 16(अ), 16(ब) एवं 20 के सम्बन्ध में।

विद्वत परिषद की 51 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करते हुए मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किये गये:—

- संकल्प सं०—11 के सम्बन्ध में वाह्य परीक्षकों हेतु पेपर सेटर्स एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक की दरों को निम्न प्रकार बढ़ाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:—

| क्र०सं० | वर्तमान पारिश्रमिक | अनुमोदित पारिश्रमिक |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| i | रु० 600.00 प्रति प्रश्न पत्र | रु० 800.00 प्रति प्रश्न पत्र |
| ii | रु० 10.00 प्रति उत्तर पुस्तिका | रु० 15.00 प्रति उत्तर पुस्तिका |
| iii | रु० 300.00 न्यूनतम | रु० 400.00 न्यूनतम |

23/५/१५

Jh
24/५/१५

2. संकल्प संख्या—16(अ) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के रिक्त पदों के लिये निर्धारित अर्हता में आंशिक परिवर्तन के संबंध में विद्वत परिषद की संस्तुति अनुमोदित की गयी।
3. संकल्प संख्या—16(ब) विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमैट स्कीम का लाभ अनुमन्य करने के संबंध में विद्वत परिषद की संस्तुति अनुमोदित की गयी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित कैरियर एडवांसमैट स्कीम प्रक्रिया को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सम्मिलित करने के लिए महामहिम कुलाधिपति जी के अनुमोदन हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।
4. संकल्प संख्या—20 षष्ठम् दीक्षान्त दिनांक 6 मार्च, 2014 को माननीय डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति भारत को मानद उपाधि देने तथा मानद उपाधि प्रारूप को अनुमोदन करने के संबंध में विद्वत परिषद की संस्तुति अनुमोदित की गयी।

(कार्यवाई: कुलसचिव/अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

प्रस्ताव संख्या—26.11 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की माननीय प्रबन्ध परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 28.10.2013 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 में लिये गये निर्णय दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को किये गये साक्षात्कार के आधार पर विधिवत गठित चयन समिति की संस्तुति पर श्रेष्ठता सूची में चयनित प्रथम अभ्यर्थी तथा उनके न आने या अस्वीकार करने पर प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक संख्या 367/67—कृशिअ—14—500(9)/10 दिनांक 17 फरवरी, 2014 के क्रम में माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाई: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या—26.12 मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

(क) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची निर्धारित किया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में एक समिति गठित करते हुए तीन माह के अन्दर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की जाये।

१०
२३।८।१५

(कार्यवाई: कुलसचिव)

(ख) व्यापक विचार विमर्श उपरान्त विभिन्न महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाई: कुलसचिव)


(ग) विश्वविद्यालय के निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव आदि उच्च पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्रवाई: कुलसचिव)

(घ) विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठकों हेतु मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा श्रीमती भारती शर्मा को एक वर्ष अथवा कार्यकाल समाप्त होने तक जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नामित किया गया। श्रीमती भारती शर्मा की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी अन्य सदस्य को नामित करने के लिए कुलपति/अध्यक्ष, मा० प्रबन्ध परिषद को अधिकृत किया गया।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

अन्त में सचिव मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


(सत्येन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक/सचिव, मा० प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित


(मा० हरि शंकर गौड़)

कुलपति/अध्यक्ष, मा० प्रबन्ध परिषद